

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
कमांक :- ई-33/ले.टे./1142 पार्ट-3/2019/522 दिनांक : 05/09/2019

आदेश

वित्त विभाग के आदेश कमांक एफ. 11(7) एफ.डी./नियम/2008/दिनांक 12.09.08, एफ 14 (88) वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31.12.2009 एवं एफ. 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 9, 18 व 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक व पूर्ण सेवावधि	देय पे मैट्रिक्स लेवल
1.	श्री रामचन्द्र लाम्बा, वरि.लै.टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनोहरपुर (जयपुर-प्रथम)	09.04.1992	09.04.2019 27 वर्ष	लेवल-12
2.	श्री अजय सोहोनी, वरि.लै.टे	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	28.03.1992	28.03.2019 27 वर्ष	लेवल-12
3.	श्री विनय कुमार गुप्ता, वरि.लै.टे	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	30.03.1992	30.03.2019 27 वर्ष	लेवल-12
4.	श्री कप्तान विश्नोई, वरि.लै.टे	अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	28.03.1992	28.03.2019 27 वर्ष	लेवल-12
5.	श्री हेमराज कुमावत, वरि.लै.टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बागौर (भीलवाडा)	30.05.1992	30.05.2019 27 वर्ष	लेवल-12
6.	श्री मिलाप चन्द सुथार, वरि.लै.टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सांगरिया (भीलवाडा)	03.05.1992	03.05.2019 27 वर्ष	लेवल-12
7.	श्री राजेश सैनी, लै.टे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र अकबरपुर (अलवर)	20.05.2009	20.05.2018 9 वर्ष	लेवल-9
8.	श्री हारून खान, लै.टे	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर	06.05.1992	06.05.2019 27 वर्ष	लेवल-12
9.	श्री गुमान सिंह राठौड, लै.टे	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी फलोदी (जोधपुर)	02.04.1992	02.04.2019 27 वर्ष	लेवल-12

10	श्री धनराज मेघवाल, लै.टे	जिला क्षय निवारण केन्द्र, बीकानेर	18.05.1998	18.05.2019 18 वर्ष	लेवल-11
11	श्री विनोद कुमार पाण्डेय, वरि.लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर	30.03.1992	30.03.2019 27 वर्ष	लेवल-12
12.	श्री हरि लाल जाटव, वरि.लै.टे	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बून्दी	22.04.1992	22.04.2019 27 वर्ष	लेवल-12

नोट:- सूची में क्रम संख्या 10 पर अंकित श्री धनराज मेघवाल, लै.टे के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान होने के कारण वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-14 (88)एफडी/रूल्स/2008-II दिनांक 01.06.2017 के परिपेक्ष्य में इनकी ए.सी.पी 3 वर्ष पश्चात अर्थात् दिनांक 18.05.2016 के स्थान पर दिनांक 18.05.2019 से देय है, के अतिरिक्त कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होंगे।

उपरोक्त कार्मिक का वेतन निर्धारण ए.सी.पी स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार किया जावेगा।

- Sd -
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 05/09/2019

क्रमांक :- ई-33/ले.टे./1142 पार्ट-3/2019 529

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करे।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर